राज्य में सिटीजन चार्टर लागू, नगर सेवा हेल्पलाइन शुरू, तय समय सीमा में लोग पाएंगे नगर निकायों से सेवाएं: मंत्री

हर सुविधा के लिए समय तय

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अच्छी खबर

शहरी आबादी की सुविधा के लिए नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) और नगर सेवा हेल्पलाइन सेवा कर दी गई है। अब लोग तय समय सीमा में नगर निकायों से सेवाएं पा सकेंगे। इसी के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी सुविधा के विस्तार के लिए अपनी जिम्मेवारी भी निर्धारित कर ली है। नगर विकास एवं आवास मंत्री डा.प्रेम कुमार और सचिव एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को सूचना भवन में दोनों सेवाओं का शुभारम्भ किया। इस मौके पर डा. कुमार ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि तय समय सीमा में लोगों को नगरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पर सिटीजन चार्टर का पालन नही होने की अवस्था में जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई से संबंधित सवाल को वे टाल गए।

विभाग के सचिव एस. सिद्धार्थ ने स्वीकार किया कि इसके पालन में काफी कठिनाई और परेशानी होगी। कर्मियों की उपलब्धता बढ़ायी जाएगी। आधारभूत संरचाओं को बढाना होगा। उन्होने बताया कि नगर सेवा हेल्पलाइन 0612 3095555 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायतें दर्ज होंगी। दर्ज कराने वालों को यूनिक आईडी दी जाएगी। इससे शिकायत निवारण की स्थिति आनलाइन मिल सकेगी। भविष्य में एसएमएस की सुविधा भी दी जाएगी। शिकायत 0612-3094443 पर फैक्स भी किए जा सकेंगे। शिकायत दर्ज होने की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। इस मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव जय सिंह, डीएफआईडी के श्रीपर्णा अय्यर समेत कई और अधिकारी उपस्थित थे।

नगर सेवा हेल्पलाइन **0612-3095555** पर सुबह **9** बजे से शाम **6** बजे तक शिकायतें दर्ज होंगी।

शिकायत **0612 -3094443** पर फैक्स भी किए जा सकेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपनी जिम्मेदारी तय की

नागरिकों को मिला अधिकार

अनुरोध की प्रकृति	समय सीमा	
सार्वजनिक स्वास्थ्य - कचरा उठाना	24 घंटे में	
सड़क की सफाई	प्रधान मुख्य सड़क	प्रतिदिन
	मुख्य सड़क-	हर 2 दिन पर
	अन्य सड़क-	हर 7 दिन पर
मलबे को हटाना	3 दिनो के अन्दर उचित भुगतान पर	
लावारिस मलबों को हटाना		महीने में एक बार
कचरे के डब्बों को हटाना		3 दिन में
सार्वजनिक शौचालयों में रुकावट को हटाना		24 घंटे में
मृत पशुओं को सड़क से हटाना		6-8 घंटे के अन्दर
जल जमाव सामान्य/ बारिश के दौरान		48 घंटे में/ 7 दिन में
इमारत/दीवार गिरने की शिकायत निबटारा		24 घंटे में

पेजयल-जलापूर्ति से संबंधित

नए कनेक्शन	30 दिन में
पाइप लाइनों के रिसाव	2-3 दिन में
मुख्य पाइप लाइन की मरम्मत	24 घंटे में
पंप की मरम्मत	48 घंटे में
मुख्य नाली से रुकावट हटाना	24 घंटे में
मैनहोल के टूटे कवर लगाना	7 दिन में
सार्वजनिक नल की मरम्मत	24 घंटे में
हैंड पम्पों की मरम्मत	24 घंटे में
धार्मिक आयोजन में अस्थायी कनेक्शन	7 दिन में

नालियों का रखरखाव

नालियों की रुकावट	एक दिन में
रुके हुए पानी को निकालना	एक दिन में
नालियों में जमे कचरे को हटाना	मार्च से जून (हर वर्ष)
नालियों की मरम्मत	2 दिनो में
निजी सेप्टिक टैंक की सफाई	3 दिन में (फीस प्राप्ति होने पर)

सड़कों का रखरखाव

रुकावट को दूर करना	3 दिन में
सड़क काटने की अनुमति	7 दिन में
स्ट्रीट लाइट को ठीक करना	3 दिन में

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

12 महीनों में पैदा हुए बच्चों का नाम दर्ज	एक दिन में (मुफ्त)
पांच वर्षों में घटित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र	5 दिन में

होल्डिंग टैक्स

संपत्ति का मूल्यांकन	45 दिन में
टैक्स विवाद का निबटारा	15 दिन में
म्यूटेशन	45 दिन में

विज्ञापन टैक्स

अनुमति/ नवीकरण	30 दिन में
टैक्स का आकलन	30 दिन में
विवादों का निपटारा	15 दिन में

लाइसेंस

निर्गत करना	10 दिन में
व्यापार लाइसेंस का नवीकरण	10 दिन में
विवादों का निबटारा	3 दिन में
सार्वजनिक/निजी कार्यों के लिए पार्क का उपयोग	7 दिन में (शुल्क भुगतान के बाद)

नगर सेवा की वेबसाइट www.nagarseva.in पर भी शिकायत दी जा सकेगी।

सरकार की जिम्मेदारी

होल्डिंग का पुनर्निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष में

1. जलापूर्ति कनेक्शन के कवरेज 10 वर्षों में
2. जलापूर्ति कनेक्शन के मीटरिंग की सीमा 10 वर्षों में
3. जलापूर्ति की निरंतरता 10 वर्षों में
4. शौचालय का कवरेज 10 वर्षों में 90 फीसदी
5. सीवेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज 10 वर्षों में
6. वर्षा के पानी निकासी नेटवर्क का कवरेज 10 वर्षों में
7. आंकड़ों का डिजिटाइजेशन 6 महीने में
8. कचरा उठाना, नालियों की सफाई -हर दिन सुबह 6 से 2 बजे तक